

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) :-

9207 90V 87

0 8261 / एक-6-2/11

उज्जैन, दिनांक अगस्त, 2025

28 AUG 2025

प्रतिलिपि :-

1.

(समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला उज्जैन)

की ओर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 8 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा पूर्व अधिसूचना में संशोधन करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा प्रेषित आपन क्रं. सी/4487 दिनांक 28.06.2025 मय मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं. 2729 दिनांक 27.06.2025 की प्रति सहित, सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

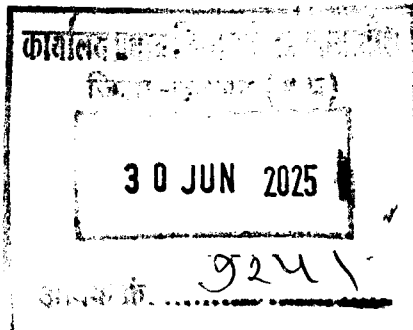
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. 6/1487
III-6-4/57

Jabalpur, dated 28/06/2025

Copy of the notification of the Government of M.P. F. No. 2729/21-B(1)/2025, Bhopal dated 27.06.2025, under Rule 8 (1) of M.P. Vishesh Nyayalaya Niyam 2012 (No. 8 of 2012) and sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988, is forwarded to;

- 1- The Registrar cum PPS of Honourable Acting Chief Justice for kind information of His Lordship;
- 2- P.S. to the Registrar General, Principal Registrar (Judicial), Principal Registrar (Vigilance) and Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
- 3- The Principal District and Sessions Judges, all in the State for information and necessary action. The Principal District and Sessions Judges; Jabalpur and Gwalior for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
- 4- District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
- 5- The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of M.P., Jabalpur for information;
- 6- The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
- 7- The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 8- The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
- 9- The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information;



Mukesh Rawat
28/6/25
MUKESH RAWAT
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27/06/2025

फा.क्रमांक 2729/इक्कीस-ब(एक)/2025, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्रमांक 17(ई)-8-2012- इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 मार्च, 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रं.	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	श्री संजय अग्रवाल, चौदहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल।	भोपाल	राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र
7.	श्री संजय कुमार सिंह, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर।	इन्दौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र ।"

NOTIFICATION

F.No-2473/21-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F.No. 17(E)8-2012-/XXI-B(One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30th March, 2012, namely:

AR (checked)
y. Rawat
28/6/25
Reg. (DE)

//2//

(Amendment)

In the said Notification, in the table, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Shri Sanjay Agrawal, XIV th District and Additional Sessions Judge, Bhopal and Presiding Judge, Special Court No. 2, Bhopal	Bhopal	Area comprising of Revenue District Bhopal, Sehore, Raisen and Rajgarh.”.
7.	Shri Sanjay Kumar Singh, IV th District and Additional Sessions Judge, Indore and Presiding Judge, Special Court No. 1, Indore	Indore	Area comprising of Revenue District Dewas, Ratlam, Shajapur, Ujjain, Mandsaur, Neemuch and Dhar.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 2729 / 21-ब(एक)2025,

भोपाल, दिनांक 27 / 06 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. सी / 3933 दिनांक 21.05.25 एवं सी / 3937 / III-6-4/57-42 दिनांक 21.05.25 के संदर्भ में,
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल एवं इंदौर मध्यप्रदेश।
3. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राज पत्र भाग-1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित,
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

२ (अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग